संख्या 190 पत्रावली सं0– **KUS1917** दिनांक 16/05/2017

कार्यालय उप निबन्धक सोसायटीज उत्तराखण्ड ऊधम सिंह नगर
सत्यमेव जयते

सोसाइटी–रजिस्ट्रीकरण
का
प्रमाण–पत्र
(अधिनियम संख्या 21,1860 के अधीन)

संख्या 046/2017 - 2018

एतद्द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि श्री कृष्ण प्रणामी सोशल वैलफेयर एण्ड एजुकेशनल सोसायटी। गऊशाला के पास, ग्राम तुर्का तिसोर, सितारगंज जिला ऊधमसिंहनगर–262405 को आज उत्तराँचल में अपनी प्रवृत्ति के सम्बन्ध में यथासंशोधित सोसाइटी रजिस्ट्रेशन अधिनियम, 1860 ई0 के अधीन सम्यक् रूप से रजिस्ट्रीकृत किया गया है। यह प्रमाण–पत्र **15/05/2022** तक विधिमान्य होगा।

आज दिनांक **16/05/2017** को मेरे हस्ताक्षर से दिया गया।

सोसाइटी के रजिस्ट्रार,
उत्तराखण्ड

उप निबन्धक
फर्म्स सोसाइटीज एवं चिट्स
ऊधम सिंह नगर (उत्तराखण्ड)

नोट - कृपया पत्राचार करते समय पत्रावली संख्या का उल्लेख अवश्य करें।

Susheela Devi
STAMP VENDOR
Rudrapur (U.S.Nagar)

INDIA NON JUDICIAL

Government of Uttarakhand

e-Stamp

सत्यमेव जयते

Certificate No.	:	IN-UK37880962226939R
Certificate Issued Date	:	20-Sep-2019 02:14 PM
Account Reference	:	NONACC (SV)/ uk1248104/ RUDRAPUR/ UK-UN
Unique Doc. Reference	:	SUBIN-UKUK124810478029345631174R
Purchased by	:	SHREE KRISHNA PRANAMI SOC WELFARE AND EDU SOC
Description of Document	:	Article Miscellaneous
Property Description	:	NA
Consideration Price (Rs.)	:	0 (Zero)
First Party	:	SHREE KRISHNA PRANAMI SOC WELFARE AND EDU SOC
Second Party	:	NA
Stamp Duty Paid By	:	SHREE KRISHNA PRANAMI SOC WELFARE AND EDU SOC
Stamp Duty Amount(Rs.)	:	10 (Ten only)

Please write or type below this line

यह जनरल स्टाप पेपर श्री कृष्ण प्रणामी सोशल वेलफेयर एण्ड एजुकेशनल सोसाइटी
नामक संस्था की प्रबन्धकारिणी सूची वर्ष 2019-20
प्रमाणित प्रतिलिपि के साथ सलग्न है

पत्रावली संख्या - KUS1917

कार्यालय उप निबन्धक सोसायटीज उत्तराखण्ड
सत्यमेव जयते
उधम सिंह नगर

उप निबन्धक
फर्म्स सोसाइटीज एवं चिट्स
उधम सिंह नगर (उत्तराखण्ड)
21/9/19

Statutory Alert:

1. The authenticity of this Stamp Certificate should be verified at "www.shcilestamp.com". Any discrepancy in the details on this Certificate and as available on the website renders it invalid.
2. The onus of checking the legitimacy is on the users of the certificate.
3. In case of any discrepancy please inform the Competent Authority.

श्री कृष्ण प्रणामी सोशल वेलफेयर एण्ड ऐजुकेशनल सोसायटी,
गौशाला के पास, ग्राम तुर्का तिसौर, सितारगंज, (उधमसिंहनगर)

संशोधित कार्यकारणी सूची वर्ष 2019—20

कम सं0	नाम	पता	पद
1.	श्री रमेश चन्द्र पुत्र श्री गगाराम	वार्ड 7 सितारगज जिला उधमसिहनगर।	अध्यक्ष
2.	श्रीमति संगीता मित्तल पत्नी श्री महेश कुमार मिततल पुत्री भगवानदास अग्रवाल	वार्ड 7 सितारगज जि़ला उधमसिहनगर।	उपाध्यक्ष
3.	श्री महेश कुमार मित्तल पुत्र श्री जगदीश प्रसाद	वार्ड 7 सितारगज जिला उधमसिहनगर।	सचिव
4.	श्रीमति प्रेरणा गोयल पत्नी श्री रितेश कुमार गोयल पी श्री महेश चन्द्र अग्रवाल	वार्ड 7 सितारगज जिला उधमसिहनगर।	कोषाध्यक्ष
5.	श्री मनीष सिंघल पुत्र श्री गुलाब चन्द्र सिंघल	वार्ड 9, हाथीखाना सितारगंज जिला उधमसिहनगर।	सदस्य
6.	श्रीमति रूचि गोयल पत्नी श्री जितेश गोयल पुत्री रमेश चन्द्र	वार्ड 7 सितारगज जिला उधमसिहनगर।	सदस्य
7.	श्रीमति आकांक्षा अग्रवाल पत्नी श्री रोहित गोयल पुत्री श्री अभिलाष कुमार	वार्ड 4 सितारगज जिला उधमसिहनगर।	सदस्य
8.	श्री आकाश मित्तल पुत्र श्री महेश मित्तल	वार्ड 7 सितारगज जिला उधमसिहनगर।	सदस्य

सत्य प्रतिलिपि।

सत्यप्रतिलिपि
उप निबन्धक
फर्म्स सोसाइटीज एवं चिट्स
ऊधम सिंह नगर (उत्तराखण्ड)

Shree Krishna Pranami Social
Welfare & Education Society
Turka Tissor, Sitarganj
U. S. Nagar (Uttarakhand)

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

दस रुपये रु.10

TEN RUPEES Rs.10

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तराखण्ड UTTARAKHAND 30AA 700843

यह जनरल स्टाप पेपर श्रीकृष्णा प्रणामी सोशल वेलफेयर एण्ड एजुकेशनल सोसायटी नामक सस्था की... नियमावली की प्रमाणित प्रतिलिपि के साथ सलग्न है

पत्रावली सं०- KVS 1917

कार्यालय उप निबन्धक सोसायटीज उत्तराखण्ड
सत्यमेव जयते
ऊधम सिंह नगर

उप निबन्धक
फर्म्स सोसाइटीज एवं चिट्स
ऊधम सिंह नगर (उत्तराखण्ड)
29/9/17

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

दस रुपये

रु.10

TEN RUPEES

Rs.10

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तराखण्ड UTTARAKHAND 30AA 700842

यह जनरल स्टाम्प पेपर श्री कृष्णा प्रणामी सोशल वैलफेयर एण्ड एजुकेशनल सोसाइटी
नामक संस्था की... स्मृति पत्र ....
की प्रमाणित प्रतिलिपि के साथ संलग्न है

पंजीकरण नं० - KUS 1917

कार्यालय उप निबन्धक सोसायटीज उत्तराखण्ड
सत्यमेव जयते
ऊधम सिंह नगर

उप निबन्धक
फर्म्स सोसाइटीज एवं चिट्स
ऊधम सिंह नगर (उत्तराखण्ड)
29/3/17

स्मृति-पत्र

1–संस्था का नाम — श्री कृष्ण प्रणामी सोशल वैलफेयर एण्ड एजुकेशनल सोसायटी

2–संस्था का पता — गऊशाला के पास, ग्राम तुर्का तिसोर, सितारगंज जिला ऊधमसिंहनगर –262405

3–संस्था का कार्यक्षेत्र — समस्त उत्तराखण्ड

4. संस्था के उद्देश्य –

(I) पूर्त (Charitable) प्रयोजन के लिये कार्य करेगी।

1– संस्था कार्यक्षेत्र में बच्चों के विकास के लिए विद्यालय स्थापित करने का प्रयास करेगी।

2– संस्था कार्यक्षेत्र में बच्चों के विकास के लिए विद्यालय स्थापित करने उपरान्त विद्यालय को संचालित करेगी।

3– संस्था कार्यक्षेत्र में बच्चों के विकास के लिए विभिन्न प्रतियोगिताओं को प्रायोजित करने का प्रयास करेगी।

4– संस्था कार्य क्षेत्र में कम्प्यूटर शिक्षा केन्द्र खोलने का प्रयास करेगी व छात्र/छात्राओं को रोजगार परक शिक्षा प्रदान करने का प्रयास करेगी।

5– संस्था कार्यक्षेत्र में प्रौढ शिक्षा,सर्वशिक्षा,अनौपचारिक शिक्षा का प्रचार प्रसार करने का प्रयास करेगी।

6– संस्था कार्यक्षेत्र में समय समय पर सांस्कृतिक कार्यक्रम,विचारगोष्ठियों,सेमिनारों का आयोजन करेगी।

7– संस्था कार्यक्षेत्र में सामाजिक सौहार्द, राष्ट्रीय चेतना के विकास के लिए प्रयास करेगी।

8– संस्था कार्यक्षेत्र में वृद्ध/वृद्धाओं के कल्याण के लिए वृद्धाश्रम स्थापित करने का प्रयास करेगी। समाज कल्याण संबंधी योजनाओं को कार्यान्वित कराने का प्रयास करेगी।

9– संस्था कार्यक्षेत्र में मातृशक्ति के विकास के लिए शिक्षा एवं सुरक्षा का प्रयास करेगी।

संस्था के उपरोक्त सभी उद्देश्य सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 की धारा 1 व 20 के अनुसार पूर्ण रूप से चैरिटेबल एवं अव्यवसायिक होंगें।

क्र.सं.	नाम तथा पिता/ पति का नाम	पता	पद	व्यवसाय
1	श्री हरीश कुमार तनेजा पुत्र स्व. श्री देशराज तनेजा	रमपुरा हाथीखाना वार्ड नं.8, सितारगंज जिला उधमसिंहनगर	अध्यक्ष	व्यापार
2	श्रीमंती प्रमुग्धा सोलंकी पत्नी श्री इन्द्रेश प्रताप सिंह	वार्ड नम्बर 8, सितारगंज जिला उधमसिंहनगर	उपाध्यक्ष	शिक्षक
3	श्री महेश कुमार मित्तल पुत्र श्री जगदीश प्रसाद मित्तल	वार्ड नम्बर 7 पुरानी मण्डी ,किच्छा रोड, सितारगंज जिला उधमसिंहनगर	सचिव	व्यापार
4	श्रीमती प्रेरणा गोयल पत्नी श्री रितेश कुमार गोयल	वार्ड नम्बर 7, कन्या इण्टर कालेज रोड, रम्मपुरा, सितारगंज जिला उधमसिंहनगर	कोषाध्यक्ष	व्यापार
5	श्रीमती संगीता मित्तल पत्नी श्री महेश कुमार मित्तल	वार्ड नम्बर 7, सितारगंज जिला उधमसिंहनगर	सदस्य	व्यापार

समस्त हस्ताक्षर अपठनीय
सत्य प्रतिलिपि

डिप्टी रजिस्ट्रार
फर्म्स, सोसाइटीज एवं चिट्स
ऊधम सिंह नगर

Prerna Goyal Pramugdha Solanki Ruchi Goyal

	श्रीमति रूचि गोयल पत्नी श्री जितेश गोयल	वार्ड नम्बर 7, रम्मपुरा, सितारगंज जिला उधमसिंहनगर	सदस्य	व्यापार
7	श्री अवनीश तनेजा पुत्र श्री हरीश तनेजा	वार्ड नम्बर 9, छोटा गुरूद्वारा, हाथीखाना सितारगंज जिला उधमसिंहनगर	सदस्य	व्यापार
8	आकाश मित्तल पुत्र श्री महेश मित्तल	वार्ड नं0 7, सितारगज जिला उधमसिंहनगर	सदस्य	व्यापार

5. संस्था के प्रबन्धकारिणी समिति के पदाधिकारियों एवं सदस्यों के नाम, पते, पद तथा जिनको संस्था के इस स्मृति–पत्र तथा नियमावली के अनुसार संस्था का कार्यभार सौंपा गया है।

सत्य प्रतिलिपि

दिनांक. 18-5-17

(सभी पदाधिकारियों / सदस्यों के हस्ताक्षर)

प्रबन्धकारियों में कम से कम 07 पदाधिकारियों / सदस्यों का होना आवश्यक है।

Prema Goyal

Ruchi Goyal

Akash

Pramugdha Solanki

समस्त हस्ताक्षर अपठनीय
सत्य प्रतिलिपि

डिप्टी रजिस्टार
फर्म्स, सोसाईटीज एंव चिट्स
उधम सिंह नगर

नियमावली

1–संस्था का नाम — श्री कृष्ण प्रणामी सोशल वैलफेयर एण्ड एजुकेशनल सोसायटी

2–संस्था का पता — गऊशाला के पास, ग्राम तुर्का तिसोर, सितारगंज जिला ऊधमसिंहनगर –262405

3–संस्था का कार्यक्षेत्र — समस्त उत्तराखण्ड

4. संस्था की सदस्यता तथा सदस्यों के वर्गः–

(क) आजीवन सदस्य– सस्था के संस्थापक आजीवन सदस्य होगे तथा संस्था को रू. 1,51,000/– रूपया की धनराशि सेवार्थ प्रदान करने वाले सदस्य भी आजीवन सदस्य कहलायेगा।

(ख) विशिष्ट सदस्य– सस्था समाज में प्रतिष्ठित व्यक्ति, जो सस्था के उद्देश्यों में विश्वास रखता हो, संस्था का हितैसी हो ऐसे व्यक्ति सस्था विशिष्ट सदस्य बनाया जा सकेगा।

(ग) सामान्य सदस्य– जो सदस्य संस्था को वार्षिक सदस्यता राशि रूपए 1100/– रूपया एवं संस्था के कार्यो में सहायता करेगा वह सामान्य सदस्य कहलायेगा।

5. सदस्यता की समाप्तिः– निम्नलिखित दशाओं में सदस्यता समाप्त की जा सकती है।

(क) मृत्यु हो जाने पर।
(ख) पागलपन हो जाने पर।
(ग) न्यायालय द्वारा दण्डित होने पर।
(घ) दिवालिया होने पर।
(ङ) सदस्यता शुल्क न देने पर।
(च) सदस्यता शुल्क न देने पर।
(छ) संस्था विरोधी गतिविधियों में लिप्त होने पर एवं अनैतिक कार्य में लिप्त होने पर।

6– संस्था के अंगः– (क) साधारण सभा (ख) प्रबन्धकारिणी समिति

(क) साधारण सभाः–

(अ) गठनः– सभी आजीवन एवं साधारण सदस्यों को मिलाकर साधारण सभा का गठन होगा।

(ब) बैठकें:– सामान्य बैठक वर्ष में....एक.. बार तथा विशेष बैठक आवश्यकता पड़ने पर कभी भी बुलाई जा सकती है।

(स) सूचना अवधिः–सामान्य बैठक हेतु सात दिन पूर्व सूचना देना आवश्यक होगा तथा विशेष बैठक कभी भी बुलायी जा सकती है।

(द) गणपूर्तिः– बैठक हेतु 1/3 सदस्यों की गणपूर्ति आवश्यक होगी ।

(य) विशेष/वार्षिक अधिवेश की तिथिंः–विशेष /वार्षिक अधिवेश की तिथी साधारण सभा की बैठक में 2/3 बहुमत से तय की जायेगी।

समस्त हस्ताक्षर अपठनीय सत्य प्रतिलिपि
डिप्टी रजिस्टार फर्म्स, सोसाइटीज एवं चिट्स

(सचिव तथा कम से कम तीन अन्य पदाधिकारियों के हस्ताक्षर)

Ruchi Goyal

(र) <u>साधारण सभा के कर्तव्य एवं अधिकार :</u>–साधारण सभा द्वारा प्रबन्धकारिणी समिति का चुनाव किया जायेगा। संस्था की नीतियों का निर्धारण करना तथा वार्षिक आय–व्यय का अनुमोदन करना।

(ख) <u>प्रबन्धकारिणी समिति :–</u>

(अ) <u>गठन :</u>–साधारण सभीा द्वारा प्रबन्धकारिणी समिति का चुनाव किया जायेगा। इसमें अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, कोषाध्यक्ष सचिव तथा **चार कार्यकारिणी** सदस्य होगें।

(ब) <u>बैठकें:–</u> सामान्य बैठक वर्ष में **एक** बार तथा विशेष बैठक आवश्यकता पड़ने पर कभी भी बुलाई जा सकती है।

(स) <u>सूचना अवधि :–</u> सामान्य बैठक हेतु 7 दिन पूर्व सूचना देना आवश्यक होगा तथा विशेष बैठक हेतु 3 दिन पूर्व सूचना देना आवश्यक होगा।

(द) <u>गणपूर्ति:–</u> बैठक की गणपूर्ति हेतु 1/3 पदाधिकारियों की उपस्थिति आवश्यक होगी।

(य) <u>रिक्त स्थानों की पूर्ति :–</u> 2/3 पदाधिकारियों के बहुमत से शेष अवधि के लिये साधारण सभी के सदस्यों में से रिक्त हुये स्थानों की पूर्ति का सकेगी।

(र) <u>प्रबन्धकारिणी समिति के कर्तव्य एवं अधिकार :–</u> संस्था के सभी कार्यक्रमों का कियान्वयन करना तथा वित्तीय व्यवस्था को देखना। संस्था के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु वार्षिक बजट बनाना तथा साधारण सभा में बजट पास करवाना, योजनायें तैयार करना, कार्यकर्ताओं की नियुक्ति व मुक्ति, दान–अनुदान स्वीकार करना।

(ल) <u>कार्यकाल :–</u> प्रबन्धकारिणी समिति का कार्यकाल पांच वर्ष होगा।

<u>प्रबन्धकारिणी समिति के पदाधिकारियों के अधिकार एवं कर्तव्य:–</u>

(क) <u>अध्यक्ष :</u>–प्रबन्धकारिणी समिति की बैठका की अध्यक्षता करना, संस्था की चल/अचल सम्पत्ति की देखभाल करना, संस्था के हितार्थ कार्य जो आम सभी से स्वीकृत हो करवाना है।

(ख) <u>उपाध्यक्ष :</u>–अध्यक्ष की अनुपस्थिति में उसके सभी कार्य देखना।

(ग) **सचिव–** कार्यकारिणी समिति की बैठको की कार्यवाही लिखना आगामी बैठक में पिछली कार्यवाही की पुष्टी करवाना, वार्षिक बजट बनाना, संस्था के आय–व्यय संबंधी समस्त प्रपत्र तैयार करवाना, चार्टड एकाउन्टेन्ट से ऑडिट करवाना, ऑडिट रिपोर्ट प्रबन्धारिणी के समक्ष पेश करना, संस्था की ओर से पत्राचार करना, कार्यकारिणी द्वारा स्वीकृत नियमों केअधीन कार्यकर्ताओं नियुक्ति करना तथा संस्था के हितार्थ ऐसे समस्त कार्य करना जो संस्था के उद्देश्य के विरूद्ध न होना।

(घ) **कोषाध्यक्ष–** संस्था के कोष का रखरखाव ।

समस्त हस्ताक्षर अपठनीय
सत्य प्रतिलिपि
डिप्टी रजिस्टार
फर्म्स, सोसाईटीज एवं चिट्स
श्रीगंगानगर

(सचिव तथा कम से कम तीन अन्य पदाधिकारियों के हस्ताक्षर)

Prema Goyal Akash Sanjeev Ruchi Goyal Bhanupdha Solanki

(ड़) **सदस्य :–** प्रबन्धकारिणी में चार पदाधिकारियों के अतिरिक्त **चार सदस्य** होंगें जो कोरम की पूर्ति करेंगें व पदाधिकारियों को संस्था के कार्यो में सहयोग करेंगें।

8. **संस्था के नियम/विनियमों में संशोधन की प्रकिया :–** संस्था के विधान में परिवर्तन, करने हेतु प्रबन्धकारिणी समिति में विधान परिवर्तन का प्रस्ताव पारित करके तथा उसे साधारण सभा द्वारा अनुमतोदित करवाकर सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम की धारा 4ए तथा 5 के अनुसार संस्था के नियमों में परिवर्तन की कार्यवाही के प्रस्ताव की प्रति के साथ 30 दिन के अन्दर ही उन्हें पंजीकरण करने के अनुरोध के साथ निबन्धक कार्यालय में प्रस्तुत कर दिया जायेगा। नियमों में परिवर्तन की स्थिति में संस्था की संशोधित नियमावली प्रस्तुत की जाएगी। कार्यालय द्वारा उक्त परिवर्तनों के पंजीकरण किए जाने की सूचना जारी किये जाने पर ही परिवर्तन मान्य होंगें।

9. **संस्था का कोष (लेखा व्यवस्था) :–** संस्था का कोष किसी बैंक अथवा डाकघर में रखा जायेगा। खाते से धन का आहरण अध्यक्ष/उपाध्यक्ष/कोषाध्यक्ष/सचिव अथवा प्रबन्धकारिणी समिति द्वारा नामित किन्हीं दो कार्यकारिणी सदस्यों द्वारा किया जायेगा।

10. **प्रबन्धकारिणी समिति की वार्षिक सूची तथा संतुलन पत्र :–** प्रत्येक वर्ष प्रबन्धकारिणी समिति की सूचि तथा आय व्यय लेख व संतुलन पत्र नियमानुसार उप निबन्धन कार्यालय में जमा किया जायेगा।

11. **संस्था के आय–व्यय का लेखा परीक्षण/आडिट :–** आय–व्यय का लेखा परीक्षण नियमानुसार किसी मान्यता प्राप्त चार्टड एकाउन्टेंट से करवाया जायेगा।

12. संस्था द्वारा अथवा संस्था के विरूद्ध सोसाइटी अधिनियम की धारा–6 के अनुसार अदालती कार्यवाही के संचालन का उत्तरदायित्व संस्था के **सचिव** का होगा।

समस्त हस्ताक्षर अपठनीय
सत्य प्रतिलिपि
डिप्टी रजिस्टार
सोसाइटीज एवं चिट्स
ऊधम सिंह नगर
20/5/19

(सचिव तथा कम से कम तीन अन्य पदाधिकारियों के हस्ताक्षर)

13. **संस्था के नाम से भूमि क्रय/विक्रय करना**

संस्था के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए नियमानुसार संस्था भूमि क्रय कर सकेगी तथा आवश्यकता न होने पर विक्रय कर सकेगी। इस संबंध में अध्यक्ष / उपाध्यक्ष/ कोषाध्यक्ष/सचिव में से किन्हीं दो पदाधिकारियों के हस्ताक्षर से आवश्यक कार्यवाही की जा सकेगी।

14. **संस्था के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए वित्तीय संस्था से ऋण प्राप्त करना:**

संस्था अपने उद्देश्यों की पूर्ति के लिए वित्तीय संस्था/प्राईवेट बैंक/सरकारी बैंक/कोआपरेटिव बैंक/ व्यक्ति विशेष से या अपने सदस्यों से ऋण नियमानुसार प्राप्त कर सकेंगी। इस संबंध में संस्था की सम्पत्ति की टाइटिल डीड आदि इक्युटेबल मोर्टगेज की जा सकेगी। इस संबंध में अध्यक्ष / उपाध्यक्ष/ कोषाध्यक्ष/सचिव में से किन्हीं दो पदाधिकारियों के हस्ताक्षर से आवश्यक कार्यवाही की जा सकेगी।

15. **संस्था के अभिलेख:–**

(क) सदस्यता रजिस्टर

(ख) कार्यवाही रजिस्टर

(ग) स्टाक रजिस्टर

(घ) कैश बुक

(ड़) रसीद बुक

(च) एजेन्डा रजिस्टर आदि।

16. संस्था के विघटन और विघटित सम्पत्ति के निस्तारण की कार्यवाही सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम की धारा 13 व 14 में दिए गए प्रावधानों के अन्तर्गत की जायेगी।

समस्त हस्ताक्षर अपठनीय
सत्य प्रतिलिपि
डिप्टी रजिस्ट्रार
फर्म्स, सोसाइटीज एवं चिट्स
ऊधम सिंह नगर

दिनांक 12-5-17 (सचिव तथा कम से कम तीन अन्य पदाधिकारियों के हस्ताक्षर)

Prema Goyal   Sanjeev   Ruchi Goyal   Pramuchha Solanki